योजना का नाम– **जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवर्ली कॉनवेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व0 टीकाराम काला, निवासी– सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़, मसूरी, जिला– देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी0 भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी0 अर्थात 0.014113 है0 क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू–प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिए जाने का प्रस्ताव.**

संलग्नक– 01

प्रतिवेदन

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय– **जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवर्ली कॉनवेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व0 टीकाराम काला, निवासी– सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़, मसूरी, जिला– देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी0 भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी0 अर्थात 0.014113 है0 क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू–प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिए जाने के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण।**

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 3720/12–1, दिनांक 24–02–2014 एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 09–03–2014.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन हैं कि प्रार्थी/प्रस्तावक की जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित **वेवर्ली कॉनवेन्ट स्कूल इस्टेट में कुल 408.76 वर्ग मी0 भूमि है, जिसमें से 141.13 वर्ग मी0 अर्थात 0.014113 है0** भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण किया जाना है। **वेवर्ली कॉनवेन्ट स्कूल इस्टेट** वर्ष 1966 के गजट नोटिफिकेशन अनुसार अधिसूचित निजी वन भूमि इस्टेट है। फलस्वरूप प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पुर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव गठित कर 7 प्रतियों में संलग्न है।

''प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उक्त वर्णित स्थल अर्थात **वेवर्ली कॉनवेन्ट स्कूल इस्टेट** *मसूरी में तथा मसूरी के किसी अन्य स्थान पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है और ना ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा किसी अन्य वन कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/प्रस्तावक के विरूद्ध इस प्रकरण में एवं मसूरी में निर्माण कार्य के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई केस प्रार्थी/प्रस्तावक के विरूद्ध पाया जायेगा तो इसके लिए प्रार्थी/प्रस्तावक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगा''।*

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की की स्वीकृति हेतु भिजवाने की कृपा करें।

दिनांक : 11 . 06. 2014.

भवदीय

(मनोज कुमार काला)
पुत्र स्व0 टीकाराम काला,
निवासी– सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड़,
मसूरी, जिला– देहरादून।